I/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/2379

माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2017 निगरानी

श्री ब्रजेन्द्र सिंह धाकड़ द्वारा आज दि. 26/07/17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

श्रीमती ऊषा बाई पत्नी श्री कैलाश जाति ब्राहम्ण आयु 40 वर्ष, निवासी–ग्राम आनंदपुर तहसील लटेरी जिला विदिशा म.प्र. .... **आवेदक**

बनाम

1. गोवर्धन पुत्र श्री बृजमोहन, जाति करैरिया आयु 55 वर्ष,
2. सचिन पुत्र श्री गोवर्धन करैरिया आयु 32 वर्ष निवासीगण–कटारा बाजार, आनंदपुर तहसील लटेरी जिला विदिशा म.प्र. ......**अनावेदकगण**

ब्रजेन्द्र सिंह धाकड़
26/07/17

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 17.07.2017 पारित द्वारा नायब तहसीलदार लटेरी जिला विदिशा के प्रकरण क्रमांक 211/B–121/2016–17 से दुखित होकर।

माननीय न्यायालय,

आवेदिका का निगरानी आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है : –

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य :–

1. यहकि, आवेदिका श्रीमती ऊषा बाई पत्नी कैलाश जाति ब्राहम्ण द्वारा दिनांक 30.11.2007 में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर विधिवत विक्रेता बादाम बाई से सर्वे क्रमांक 503/505/589/3 रकवा क्रमांक

revision
(Highcourt)22

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग—अ

प्रकरण कमांक एक / विदिशा / निगरानी / भू.रा. / 2017 / 2379

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3—8—17	आवेदक के अधिवक्ता श्री बृजेन्द्र सिंह धाकड़ उपस्थित होकर यह निगरानी नायब तहसीलदार लटेरी जिला विदिशा के प्रकरण कमांक 211 / बी—121 / 2016—17 में पारित आदेश दिनांक 17.7.2017 के विरूद्व म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई। 2— प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया तथा प्रकरण में संलग्न उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार वृत्त—1 तहसील लटेरी जिला विदिशा ने दिनांक 5.7.17 को स्थगन जारी कर निर्माण कार्य रूकवाया जाकर पटवारी आनंदपुर को वस्तुस्थिति की जानकारी हेतु लेख किया गया । पटवारी द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तथा बताया गया कि आवेदिका एवं अनावेदक द्वारा अपने अपने स्वत्व की भूमि पर ही मकान का निर्माण किया जा रहा है। नायब तहसीलदार द्वारा पटवारी के प्रतिवेदन के आधार पर दिया गया स्थगन निरस्त कर दिया गया। 3— उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार लटेरी जिला विदिशा के प्रकरण कमांक 211 / बी—121 / 2016—17 में पारित आदेश दिनांक 17.7.2017 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदिका द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह की जाती है। (एस0 एस0 अली) सदस्य	